क्रम-संख्या–188

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 नवम्बर, 2025

कार्तिक 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–9

संख्या 1334 / एक-9–2025-111(ले0सं0)-2013-टी0सी0-6

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–67

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
भर्ती का स्रोत–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।	भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगीः– (एक) अठानवे प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (दो) दो प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चेनमैन (चतुर्थ श्रेणी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नये नियम– 15(क) का बढ़ाया जाना

3–उक्त नियमावली में, नियम–15 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम–15(क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगेः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी .....अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे दो राजपत्रित अधिकारियें जिनके पास उस पद का, जिसके लिए चयन किया जाना है, पर्यवेक्षी क्षमता हो .....सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजी तथा उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम–16 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नियम–16 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम–15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।	(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस संवर्ग में जिसमें वे नियम–15 और नियम–15 (क) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

नये नियम–17(क) का बढ़ाया जाना

5–उक्त नियमावली में, नियम–17 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

संयुक्त चयन सूची

17(क) यदि किसी चयन वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से ऐसी रीति से रखें जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

आज्ञा से,
रणवीर प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1334/I-9–2025-111(L.S.)-2013-T.C.-6, dated November 20, 2025:

No. 1334/I-9–2025-111(L.S.)-2013-T.C.-6

Dated Lucknow, November 20, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006.

THE UTTAR PRADESH LEKHPALS SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lekhpals Service (Fifth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule-5

2. In the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below, rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Source of recruitment- Direct Recruitment to a Post in the service shall be made through the Commission.	Recruitment shall be made from the following sources: (i) Ninety eight percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Two percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed chainmen (Class IV), who have completed six years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

Insertion of new rule 15(a)

3. In the said rules, *after* rule 15, the following new rule 15(a) shall be *inserted,* namely:-

Process of recruitment by promotion

(1) Recruitment by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the Selection Committee, comprising:

(i) Appointing Authority.....*Chairman*

(ii) Two gazetted officers nominated by Appointing Authority, have supervisory capacity of the post for which selection is made .....*Members*

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the posts out side the purview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them as may be considered proper:

(3) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Amendment of rule-16

4. In the said rules in rule 16, *for* existing sub rule (1) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the cadre in which they stand in lists prepared under rule 15.	(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the cadre in which they stand in lists prepared under rule 15 and rule 15(a).

Insertion of new rule 17(a)

5. In the said rules, *after* rule 17, the following new rule shall be *inserted,* namely:-

Combind Select List

17(a) If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

By order,
RANVIR PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 245 राजपत्र–2025–(754)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 राजस्व–2025–(755)–600 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

245 RPH (Rajaswa Anubhag-9) niyamawali 2025 data 1e